संख्या- 1/2018/17/35-3-2018-1(51)/2015

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
जनपद- मुरादाबाद, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, फर्रूखाबाद, कानपुर देहात, झांसी, इलाहाबाद, बाराबंकी, गोण्डा, संतकबीरनगर, आजमगढ़, गाजीपुर, सोनभद्र, एटा, सम्भल, हापुड़, अमेठी।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 10 जनवरी,2018

विषयः **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी कार्य को पूर्ण कराने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उप महारजिस्ट्रार (नियन्त्रक अधिकारी) जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार को प्रथम चरण में क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य तथा द्वितीय चरण में सेवा प्रदाता के माध्यम से डाटा अपडेशन का कार्य, जिसको उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा दिनांक 31.12.2016 तक पूर्ण करना था लेकिन आपके जनपद के उक्त कार्य तद्दिनांक लम्बित हैं, जिसके कारण राष्टीय महत्व के इस संवेदनशील कार्य को प्रदेश स्तर पर पूर्ण करने में अत्यन्त विलम्ब हो रहा है।

2- इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया संलग्न तालिका में आपके जनपद में कालम (ए) प्रथम चरण तथा कालम (15) द्वितीय चरण हेतु इंगित प्रगणक खण्डों का शेष कार्य प्राथमिकता पर दिनांक 31.01.2018 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाना है।

3- समस्त जनपद कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त राशि यदि उक्त कार्य हेतु शेष मांगी जानी है तो पूर्व प्रेषित प्रारूप में कार्य के स्वरूप को इंगित करते हुए दिनांक 09.02.2018 तक उत्तर प्रदेश शासन के नियोजन विभाग एवं प्रतिलिपि जनगणना कार्य निदेशालय, उ0प्र0 को प्रेषित करें।

ज्ञातव्य रहे कि उक्त सूचना उपलब्ध कराने का यह अन्तिम अवसर है क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के मद में आगामी वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संलग्नक-प्रगति तालिका।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2018/ 17(1)/35-3-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. उपरोक्त 20 जनपदों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के समस्त अन्य जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण।
3. समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. उप महारजिस्ट्रार (सी एण्ड टी), नियन्त्रक अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, अलीगंज, लखनऊ को उनके पत्रांक-डीडीई/डीसीओ-यूपी दिनांक 18/10/2017 के संन्दर्भ में।
6. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।